

PSIT/2022-23/596

14-10-2022

Important Notice for Scholarship (2022-23) For
2nd, 3rd & 4th Year Students (Renewal)

All the students of B.Tech, MCA, MBA & M.Tech are hereby advised to fill their scholarship form for the session 2022-23 as per the following instructions.

1. Website - www.scholarship.up.gov.in
2. Those students, who have applied last year for Scholarship, will **RENEW** the Form by applying old registration no. to fill the Scholarship Form.
3. Your Aadhaar Card should have your Name, Father's Name & date of birth exactly as per High School / Hr. Sec. Mark sheet / Certificate or else your application may be cancelled. You will get an OTP on your Mobile No which is linked with Aadhaar card for verification, hence it should be operational.
4. Some students have withdrawn from their hostel facility after initially taking it. You should mention Hosteller / Day Scholar accordingly. Wrong information in this head may cause cancellation of Scholarship Form.
5. Your class start date should be as per PSIT notification.
6. Your Non-refundable fee will be the same as it was last year. (B. Tech, MBA, MCA & M.Tech **Rs. 1,09,296/-**).
7. Students of 2nd yr (1st Sem.+2nd sem.) 3rd yr (3rd Sem.+4th Sem.) & 4th yr (5th Sem.+6th Sem.) are Minimum Marks / Maximum Marks to fill in the scholarship form as per result.
8. Compulsory updation is required in Sr. no. 8, 9 & 40 of scholarship form.
9. All the required information in the form should be filled completely.
10. Mention your Enrollment No. (पंजीयन क्रमांक) only, which is different from Roll No. & College ID. It is mentioned on your AKTU One View result. Affiliating University name should be filled as UP Tech. University.
11. Mention promoted with Marks, if your last year result is (PCP) instead of pass. Last year's result is mandatory.
12. Two copies of print out of Online Application with all documents including Affidavit will be submitted in the college for verification. Students can submit their Filled Scholarship Forms in the New Building. Contact Person - Mr. Mahendra Kr. Gupta, Admin. Officer

**(Dr. S.K. Bhalla)****Director**Pranveer Singh Institute of Technology
Kanpur Agra Delhi National Highway
Bhauti, Kanpur (U.P.) 209305**Copy for information to:-**

- All concerned
- Intranet

Documents required for Renewal of Scholarship 2022-23

- (A) Self attested Zerox copies of all Certificates & Mark sheets (from High School to till last qualification.)
- (B) Self attested Certificate of – Income (for all) & Caste certificate (for OBC & SC/ST only) along with net copy of Income and Caste Certificate(s) as applicable.
- (C) Zerox copy of front page of Bank Pass book.
- (D) One copy of receipts of College Fees & Hostel fees (in case of hosteller).
- (E) Xerox copy of Allotment letter (if admitted through counseling).
- (F) Zerox copy of self attested Aadhaar Card.
- (G) Zerox copy of Self attested Aadhaar Card & Pan card whose income certificate (Father's/Mother's/ Guardian's).
- (H) Two Affidavits (student & parent /guardian) for all category students (For SC/ST on Rs.100/- stamp paper & for others on Rs.10/- stamp paper.
- (I) For Service Class Guardians submit the Employer's Salary certificate.



Director
Pranveer Singh Institute of Technology
Kanpur Agra Delhi National Highway
Bhauti, Kanpur (U.P.) 209305



(100 रु० के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सहित)

परिशिष्ट--"ख"

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांकको (1) कु०/श्रीमती/श्री आयु वर्ष
पुत्री/पत्नी/पुत्र श्रीजाति.....निवासी ग्राम/मोहल्ला
.....डाकखाना तहसील जिला
..... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) निदेशक/प्रिंसिपल(संस्था का नाम).....पता
..... जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा
मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित हैं। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं:-

1. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2016 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर, निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी, प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वॉछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर, प्रथम पक्ष विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष, संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
7. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2016 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/ संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष: हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष: हस्ताक्षर

नाम

नाम

पिता/पति का नाम

पिता/पति का नाम

पता

पता

साक्षी सं०-1: हस्ताक्षर

साक्षी सं०-2: हस्ताक्षर

नाम

नाम

पिता/पति का नाम

पिता/पति का नाम

पता

पता

(10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सहित)

समक्ष-श्रीमान जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर

(माता/पिता / अभिभावक द्वारा घोषणा-पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री श्रीनिवासी ग्राम/मुहल्ला
.....डाकखानातहसील
.....जनपदएतद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री
.....कोर्स ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है इस छात्र/छात्रा को किसी
अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियां प्राप्त नहीं हो रही है तथा कहीं भी सेवारत नहीं है। छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण
पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

2. यदि कोई सूचना एवं संलग्न निवास, आय व जाति प्रमाण-पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जायें तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो विभाग मेरे द्वारा देय राशि की राजस्व देयों की भांति वसूली करने हेतु एवं मेरे विरुद्ध समुचित विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

3. यदि किसी कारण वश उपरोक्त कक्षा में छात्र/छात्रा अनुत्तीर्ण रहता है /पेपर नहीं दे पाता है तो उक्त छात्रवृत्ति सम्बन्धित विभाग को वापस कर दूँगा/दूँगी।

शपथकर्ता/शपथकर्ती के हस्ताक्षर
माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक)

सत्यापन :-

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र में उपरोक्त तथ्य 1 एवं 3 में दिये गये समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में सही है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। आज दिनांकमास.....वर्षकोमें सत्यापित किया ।

शपथकर्ता/शपथकर्ती के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता

मो0 नं0-.....

(10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सहित)

परिशिष्ट-“घ”

समक्ष-श्रीमान जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर

(छात्र/छात्रा द्वारा शपथ-पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री श्रीजो ग्राम/मुहल्ला
.....डाकखानाजनपदका निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :

1. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग का हूँ।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न हैं जैसा लागू हो)
2. यह कि मेरे माता पिता,विधिवक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा आय प्रमाण पत्र घोषणापत्र सहित संलग्न हैं)
3. यह कि सम्प्रति मैं(संस्था का नाम)..... शैक्षिक संस्थान के(कोर्स का नाम) पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.....विश्वविद्यालय /बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
4. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा/दूंगी।
5. यह कि मैंने पिछली परीक्षावर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
6. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है तथा अन्य किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है।
7. यह कि मेरा बचत खाता संख्या बैंक के में खुला हुआ है जिसका IFSC कोड है।
8. यह कि मैंने वर्तमान वर्ष 2022-23 में शुल्क के रूप में रु0 रसीद संख्या दिनांक को पाठ्यक्रम के लिए भुगतान किया है।
9. यह कि मुझे विगत वर्ष में कक्षा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने पर छात्रवृत्ति रुपये एवं शुल्क प्रतिपूर्ति रुपये प्राप्त हुई है। (यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो)
10. यह कि किसी कारण वश उपरोक्त कक्षा में मैं अनुत्तीर्ण रहता हूँ /पेपर नहीं दे पाता हूँ तो उक्त छात्रवृत्ति मैं सम्बन्धित विभाग को वापस कर दूंगा/दूंगी।
11. यह कि वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन फार्म को जमा करने हेतु समस्त कागजात स्वयं मेरे द्वारा जमा किये गये हैं।

उक्त शपथ पत्र में 01से 11 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक

शपथकर्ता/शपथकर्ती के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता

मो0 नं0